न्यायालय सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मानसिंह चूण्डावत, सेशन न्यायाधीश

विविध आपराधिक प्र.सं. – 355/2026 (सीआईएस.नं. 516/2026)

शिवलाल पुत्र मोतीलाल सालवी उम्र 33 वर्ष, निवासी कस्बा गंगरार, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ (राज.)

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक चित्तौड़गढ़

....अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

एफआईआर.सं. 117/2026 थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

सेशन केस सं. 79/26(सीआईएस सं. 113/26) राज्य बनाम शिवलाल

अपराध अंतर्गत धारा 331(1),115(2), 109(1) बी.एन.एस. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित –

1. अभियुक्त की ओर से – श्री अम्बालाल ओड, विद्वान अधिवक्ता.
2. राज्य की ओर से – श्री एम.एल.दक, विद्वान लोक अभियोजक.

आदेश दिनांक – 21.08.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी लखन ने दिनांक 21.05.2026 को पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को एक टाईपशुदा रिपोर्ट शिवलाल एवं करीब 10 अन्य व्यक्तियों (रिपोर्ट में नाम अंकित नहीं है) के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.05.2026 को रात्रि के करीब एक बजे उसके पिता मदनलाल आयु 63 वर्ष एवं उसकी माता कैलाशी देवी आयु 50 वर्ष घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक मुलजिमान धारदार हथियार तलवार, चाकू, सरिये, हंसिया, गुप्ती आदि लेकर मकान में घुस गये एवं उसके माता पिता को गालियां देते हुए चारपाई को उलट कर पिता को जमीन पर गिरा दिया एवं लातों घुसों से मारपीट करते हुए तलवार से सिर,

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''

कान, गर्दन पर वार किये, जिससे गंभीर चोट आने से खून निकलने लगे तथा उनके चिल्लाने पर परिवादी की माता बीच बचाव करने आयी तो मुलजिमान ने उनके साथ भी गालियां देते हुए तलवार से सिर पर वार किया, जिससे सिर व कंधे पर गहरा घाव हो गया, इसी दौरान मुलजिमान ने उसकी माता का एक तोला सोने का मंगलसूत्र एवं घर में रखे पचास हजार रूपये नगद छीन कर ले गये । माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, ... इत्यादि । इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के दौरान प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा बाद अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है, जो कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है । प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई, प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

02. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है एवं उसको झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के अलावा अन्य कई व्यक्ति घटना में शामिल होना अंकित किया गया है, जबकि आरोप पत्र केवल प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पेश हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि घटनाक्रम झूंठा है। मजरूबान के आयी कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तलवार से मारपीट करना अंकित किया गया है एवं अनुसंधान के दौरान तलवार की बरामदगी भी होना बतलाया गया है, जबकि मजरूबान के चोट प्रतिवेदन में चोटें भोंटे हथियार से आना अंकित है, जिससे भी तलवार से मारपीट किये जाने का तथ्य असत्य होना स्पष्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोटें एक दिन पहले कारित किया जाना अंकित किया गया है, जबकि चोट प्रतिवेदन में चोटें आठ से दस दिन पुरानी होना अंकित है, जिससे भी घटना संदेहप्रद हो जाती है । प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी या शिनाख्तगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया ।

03. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने तलवार से मारपीट कर मजरूबान के मर्मस्थल पर चोटें कारित की हैं । चूंकि

बरामदशुदा तलवार पुरानी एवं जंग लगी हुई होना फर्द बरामदगी में अंकित है । ऐसी स्थिति में चोटें भोंटे हथियार से आना पाया जाना एवं आठ दस दिन पुरानी लगना पूर्णतया स्वाभाविक है । उन्होंने आरोपित अपराध को गंभीर होना बताते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया ।

04. सुना गया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी लखन के घर में रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार करते हुए परिवादी के माता पिता के साथ तलवार से मारपीट कर चोटें कारित करके हत्या का प्रयास करने का प्रथम दृष्ट्या आरोप है।

05. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय **Jameel Ahmad versus Mohammad Umair Mohammad Haroon and another 2022 Live Law (SC) 222** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "...**Ram Govind Upadhyay v. Sudarshan Singh, 2002 (3) SCC 598** sets out the relevant considerations for exercise of discretion, albeit, illustrative and not exhaustive, in the following words:
>
> "4. …(a) While granting bail the court has to keep in mind not only the nature of the accusations, but the severity of the punishment, if the accusation entails a conviction and the nature of evidence in support of the accusations.
>
> (b) Reasonable apprehensions of the witnesses being tampered with or the apprehension of there being a threat for the complainant should also weigh with the court in the matter of grant of bail.
>
> (c) While it is not expected to have the entire evidence establishing the guilt of the accused beyond reasonable doubt but there ought always to be a prima facie satisfaction of the court in support of the charge.
>
> (d) Frivolity in prosecution should always be considered and it is only the element of genuineness that shall have to be considered in the matter of grant of bail, and in the event of there being some doubt as to the genuineness of the prosecution, in the normal course of events, the accused is entitled to an order of bail."

06. प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना अनुसंधान पत्रावली से उजागर होता है । प्रार्थी/अभियुक्त 33 वर्षीय युवक है तथा दिनांक 30.05.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा । ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक विनिर्णय में प्रतिपादित विधिक स्थिति तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उसके विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

07. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त शिवलाल पुत्र मोतीलाल सालवी उम्र 33 वर्ष, निवासी कस्बा गंगरार, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ (राज.) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार कर आदेश है कि यदि प्रार्थी पचास पचास हजार रुपये की दो जमानतें एवं एक लाख रुपये का मुचलका प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रुप से उपस्थित रहने के आशय के पेश कर तस्दीक करा दे तो उसको इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

08. आदेश आज दिनांक 21.08.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

PRAHLAD RAI SOMANI
Digitally signed by PRAHLAD RAI SOMANI
Date: 2026.08.21 16:18:33 +0000

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''